न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अधिनियम, झंझारपुर

<u>अग्रिम जमानत संख्या–233/2026</u>

(लौकहा थाना कांड संख्या–38/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम सुखी मांझी

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
13.04.2026 लगातार...	आवेदक अभियुक्त **सुखी मांझी,** उम्र–61 बर्ष, पिता–ठकाई मांझी, ग्राम–पहरी टोला, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी की ओर से लौकहा थाना कांड संख्या–38/2026 (अन्तर्गत धारा: 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत दिनांक 10.03.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नागेश्वर यादव द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त व्यस्क है एव उनका इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक पर लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। आवेदक को झूठे गंदी राजनीति के तहत इस झूठे मुकदमा में फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के पास से किसी प्रकार की कोई बरामगदी नही की गयी है। याचिकाकर्ता प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा उसके फरार होने तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है एवं छापामारी के क्रम में ग्राम पहरीटोल स्थित रेलवे लाइन से पश्चिम बधार खेत से कुल 20 लीटर देशी शराब बरामद किया गया जो आवेदक सुखी मांझी का है। वाद अनुसंधानरत है तथा बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा 274, 275 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 22.02.2026 को थानाध्यक्ष के आदेशानुसार इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल द्वारा स्वतंत्र साक्षी रामनारायण पासवान एवं चंदन कुमार के उपस्थिति मे समय करीब 20:45 बजे ग्राम पहरीटोल स्थित रेलवे लाइन से पश्चिम बधार खेत में छुपा कर रखा हुआ पांच गैलन से कुल 20 लीटर देशी शराब बरामद/जप्त किया गया। शराब के संबंध में वहां उपस्थित एवं अगल–बगल के लोगो तथा महाल चौकीदार पवन कुमार पासवान के द्वारा बताया गया की बरामद शराब आवेदक सुखी मांझी का है एवं वे कुछ दिनों से चोरी छिपे शराब बेचने का काम करते है। कांड दैनिकी के कंडिका 03, 06, 07, 08 एवं 12 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से बरामद शराब आवेदक के होने तथा उनके द्वारा शराब बेचने की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के भंडारण एवं कारोबार में संलिप्तता	

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अधिनियम, झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–233/2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–38/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम सुखी मांझी

13.04.2026	परिलक्षित होती है। कांड दैनिकी के कंडिका 35 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम एवं बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **सुखी मांझी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 13.04.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि० न्या० उ० अधि०, झंझारपुर

Scanned with CamScanner